

कार्यालय कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश  
एवं पदेन उप-सचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क क / ..... / भू-अर्जन / वा 0 1 / 2016-17 /

बुरहानपुर, दिनांक 1.3.17

सार्वजनिक सूचना

(अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन की आपसी सहमति से भूमि कय नीति 2014)

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला बुरहानपुर में बखारी बैराज परियोजना हेतु ग्राम सुखपुरी एवं बखारी तहसील एवं जिला बुरहानपुर (म0प्र0) के खाताधारकों की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्र0 एफ0 12-2/2014/सात/2ए/भोपाल, दिनांक 12-11-2014 के तहत आपसी सहमति से कय किया जाना प्रस्तावित है ।

अतः निम्नलिखित भूमि से किसी व्यक्ति/संस्था को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करें । नियत अवधि पश्चात् किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा ।

स0 क्र0	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क्रमांक	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हैक्टर में)			परिसम्पत्ति का विवरण
			सिंचित	असिंचित	कुल	
1.	ग्राम सुखपुरी विश्वनाथ पिता शंकर	64	—	0.30	0.30	—
2.	विश्वनाथ पिता शंकर	65	—	0.22	0.22	—
3.	मुरलीधर, कृष्णदास पिता मोहन, राजरत्न, ईश्वर पिता श्रीधर	66	—	0.17	0.17	—
4.	मनिषा पति योगेश	67 / 1	0.45	—	0.45	—
5.	शैलेश पिता विमलचन्द्र	67 / 2	0.55	—	0.55	—
6.	ग्राम बखारी ताईबाई पति लक्ष्मण, आशाबाई पति सुनिल	72	0.18	—	0.18	—
	योग :-		1.18	0.69	1.87	

( दीपक सिंह )

कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, बुरहानपुर